लगि-संवेदनशील नीति-निर्माण

यह एडिटोरियल 29/12/2024 को **हिंदुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित "*Gender sensitive policing needed*" पर आधारित है। यह लेख अन्ना विश्वविद्यालय मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु पुलिस की आलोचना पर प्रकाश डालता है, जिसमें लिंग-संवेदनशील विधि को लागू करने में कमियों को उजागर किया गया है। जिसमें पीड़ित को दोषी ठहराना और निजता का उल्लंघन लैंगिक संवेदनशीलता और कानून प्रवर्तन में महिला प्रतिनिधित्व की बड़ी चिंताओं को दर्शाता है।

प्रिलिम्स के लिये:

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), जेंडर गैप इंडेक्स, STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित), 18वीं लोकसभा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2023, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG), भारतीय संविधान, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डीसक्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन (CEDAW), जेंडर बजट, केंद्रीय बजट 2024-25, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), मुद्रा

मेन्स के लिये:

लैंगिक समानता के लिये लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण का महत्त्व और महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान।

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण विभिन्न लिंगों पर नीतियों के विशिष्ट और प्रायः असमान प्रभावों का अभिनिर्धारण कर उनका हल करने पर आधारित है, विशेषकर ऐसे समाजों में जहाँ ऐतिहासिक और प्रणालीगत असमानताएँ बनी हुई हैं। भारत में, अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले जैसी घटनाओं से ऐसी नीतियों की तत्काल आवश्यकता उजागर हुई है, जहाँ **संस्थागत असंवेदनशीलता ने पीड़ितों द्वारा सामना किये जाने वाले आघात को बढ़ा दिया है। पर्याप्त सहायता** और **न्याय प्रदान करने में विफलता** व्यापक सामाजिक चुनौतियों को दर्शाती है, जो एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है। लिंग-संवेदनशील नीतियों का उद्देश्य **न केवल तत्काल असमानताओं को दूर करना** है, बल्कि **न्यायसंगत ढाँचे** का निर्माण करके समय के साथ स्थायी **सामाजिक-आर्थिक** और **सांस्कृतिक समानता** प्राप्त करने के लिये **आधारभूत उपकरण** के रूप में भी काम करना है।

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण क्यों आवश्यक है?

- **निरंतर लैंगिक असमानताएँ:**
  - **महिला श्रम बल भागीदारी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में पाया गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सत्र 2017-2018 में **23.3% से बढ़कर** सत्र 2022-2023 में **37% हो गई,** जो चीन के 61.5% जैसे वैश्विक एवं क्षेत्रीय बेंचमार्क से अपेक्षाकृत कम है।
    - इससे **महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बाधित** होती है तथा राष्ट्रीय उत्पादकता कम होती है।
  - **वेतन असमानता:** जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार, **भारत की आर्थिक समानता 39.8%** है, जिसका अर्थ है कि **पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक 100 रुपए के लिये महिलाएँ 39.8 रुपए कमाती हैं।** हालाँकि वर्ष 2024 में भारत का **लैंगिक अंतराल 64.1% अनुमानित है।**
    - वेतन अंतराल महिलाओं के काम का मूल्य कम करता है, जिससे आर्थिक निर्भरता बढ़ती है और **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं विकास में निवेश सीमित** होता है।
  - **शैक्षणिक अंतराल:** महिलाओं में साक्षरता दर में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, प्रणालीगत बाधाएँ बनी हुई हैं जो लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं।
    - इसके अलावा, CSIR रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में वैश्विक स्तर पर महिला STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्नातकों का उच्चतम प्रतिशत (40%) होने के बावजूद, **STEM नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व केवल 14% ही** है।
    - गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और महिलाओं की तुलना में पुरुषों की शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंड जैसे कारक लैंगिक असमानताओं को बढ़ाते हैं।
  - **राजनीतिक अल्प प्रतिनिधित्व:** 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएँ निर्वाचित हुईं, जो कुल संख्या का **13.6%** है, जो **17वीं लोक सभा में 78 महिलाओं (14.4%) से थोड़ी कम** है, जो देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय में उनकी सीमांत उपस्थिति को दर्शाता है।
    - **राजनीति में इस अल्प प्रतिनिधित्व के कारण महिला-केंद्रित नीतियों** को अपर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है और व्यापक शासन के लिये आवश्यक दृष्टिकोणों की विविधता कम हो जाती है।

- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:**
  - **पितृसत्तात्मक मानदंड:** गहरी जड़ें जमाए हुए **पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण** महिलाओं की गतिशीलता, निर्णय लेने की शक्ति और महत्त्वपूर्ण संसाधनों तक पहुँच को बाधित करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, **लगभग 47% भारतीय महिलाएँ घरेलू वित्तीय निर्णयों** में अपनी बात रखती हैं, जो परिवारों और समुदायों में **लैंगिक शक्ति असंतुलन की व्यापक प्रकृति** को दर्शाता है।
  - **अंतर्विभागीय भेदभाव:** दलितों और मुसलमानों जैसे सीमांत समुदायों की महिलाओं को लिंग, जाति एवं धार्मिक पूर्वाग्रहों से जुड़ी **जटिल चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है।
    - उदाहरण के लिये, [वर्ष 2011 की जनगणना] के अनुसार, मुसलमानों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 32.6 था, जबकि हिंदुओं और ईसाइयों का अनुपात क्रमशः 41 और 41.9 था।
  - **हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2023] **की वर्ष 2023 की रिपोर्ट** से पता चलता है कि वर्ष 2022 में **भारत में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में 4% की चिंताजनक वृद्धि** हुई, जिसमें क्रूरता, अपहरण, हमले और यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं।
    - सामाजिक कलंक, न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी, प्रतिशोध के भय, दुर्व्यवहार और असुरक्षा की स्थिति के कारण कई मामले दर्ज नहीं हो पाते।
- **आर्थिक एवं विकासात्मक अनिवार्यताएँ**
  - **आर्थिक विकास की संभावना:** यह अनुमान लगाया गया है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की समान भागीदारी से भारत के वर्ष 2025 [सकल घरेलू उत्पाद] में **16% की वृद्धि हो** सकती है, जिससे **700 बिलियन डॉलर की वृद्धि** होगी और **विकास दर में 1.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि** होगी।
    - इस क्षमता को साकार करने की दिशा में महिलाओं को अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग लेने से रोकने वाली **बाधाओं को दूर करने के लिये लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता** है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल परिणाम:** लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल नीतियाँ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं।
    - भारत में [मातृ मृत्यु दर] प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 97 है तथा लक्षित पहलों से इसमें और कमी लाई जा सकती है जिससे समतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।
  - **मानव विकास: लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना** [संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG)] **को** प्राप्त करने के लिये मौलिक है, **विशेष रूप से लक्ष्य 5 पर,** जो सतत् विकास के लिये आधारशिला के रूप में लैंगिक समानता पर बल देता है।
- **नैतिक और विधिक आयाम**
  - **कानूनी बाधा:** एक महत्त्वपूर्ण **कानूनी बाधा लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण** की अनुपस्थिति है, जो अन्याय को कायम रखती है।
    - अन्ना विश्वविद्यालय हमला मामले में पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिये मद्रास **उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु पुलिस की आलोचना,** कानून प्रवर्तन प्रथाओं में **सुधार की तत्काल आवश्यकता** पर बल देती है।
  - **संवैधानिक अधिदेश:** [भारतीय संविधान] **के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39(d), 42** स्पष्ट रूप से **विधि के समक्ष समता की गारंटी** देते हैं और लिंग के आधार पर [भेदभाव पर रोक लगाते हुए महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा] **प्रदान करते हैं।**
    - इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना शासन की मूलभूत ज़िम्मेदारी है।
  - **वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:** महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में, भारत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और **महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों के अंगीकरण एवं लागू करने के लिये बाध्य** है।

//

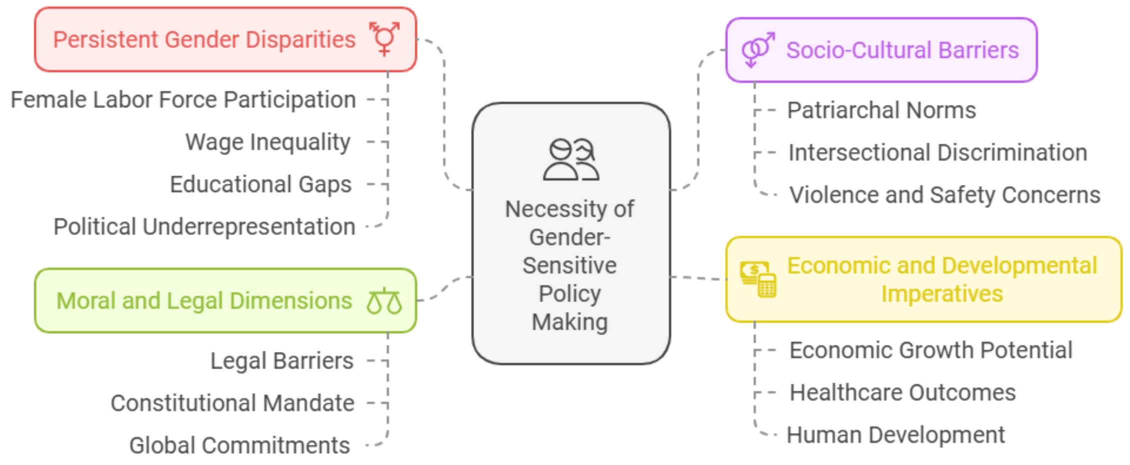

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण की दिशा में क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं?

- विधायी संरचना
  - **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** प्रसवोत्तर बेहतर देखभाल के लिये मातृत्व अवकाश **को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया** है तथा महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को समर्थन देने के लिये 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में क्रेच सुविधाएँ अब अनिवार्य कर दी गई हैं।
  - **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013:** यौन उत्पीड़न से संबंधित कार्यस्थल शिकायतों के समाधान के लिये एक औपचारिक तंत्र प्रदान करने हेतु संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) के गठन को अनिवार्य बनाया गया।
  - **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013: यौन उत्पीड़न और पीछा करने** जैसे अपराधों के लिये **कठोर दंड का प्रावधान** किया गया, जो लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिये दृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
  - **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:** इसका उद्देश्य कानूनी दंड लगाकर और जागरूकता को बढ़ावा देकर बाल विवाह का प्रतिषेध करना **है, विशेष रूप से ग्रामीण एवं सीमांत समुदायों में जहाँ यह प्रथा अभी भी प्रचलित है।**
- सरकारी पहल
  - **लिंग आधारित बजट:** भारत में सत्र 2005-06 में शुरू की गई जेंडर बजट नीति और संसाधन आवंटन में लिंग संबंधी दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपागम है।
    - केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिये **3 लाख करोड़ रुपए** से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है।
    - इसके अलावा, मंत्रालयों और विभागों ने व्यय की निगरानी एवं महिलाओं पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये **जेंडर बजट प्रकोष्ठों की स्थापना** की है।
  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):** जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सत्र 2014-15 में 918 से बढ़कर सत्र 2019-20 में 934 हो गया, जो लड़के बच्चों के लिये चुनौतीपूर्ण सांस्कृतिक प्राथमिकताओं पर इसके प्रभाव को उजागर करता है।
    - **बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण** सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालयों के एकीकृत प्रयासों के बावजूद, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में **12.6% छात्राएँ स्कूल छोड़ देती हैं**, जिनमें से **19.8% माध्यमिक स्तर पर** और **17.5% उच्च प्राथमिक स्तर पर** पढ़ाई छोड़ देती हैं।
  - **महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली योजनाएँ:** मनरेगा, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाएँ नौकरियों, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा एवं ऊर्जा तक तरजीही पहुँच प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देती हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य तथा उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।
    - उदाहरण के लिये, वित्तीय वर्ष 2023-24 में **कुल** मुद्रा **लाभार्थियों में से 63.6%** महिला उद्यमी थीं।
    - इसके अलावा, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर योजना चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और पुलिस सहायता सहित एकीकृत सेवाएँ प्रदान करती है। **प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम (STEP) को समर्थन** महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये प्रशिक्षण एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।
  - **अनुसंधान एवं विकास में भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** संस्थानों के परिवर्तन के लिये लैंगिक उन्नति (GATI) कार्यक्रम तथा जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुन: अभिविन्यास (BioCARe) योजना **STEM** एवं जैव प्रौद्योगिकी में कॅरियर विकास के अवसर, अनुसंधान अनुदान व फेलोशिप प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है।
  - **डिजिटल समावेशन पहल:** PMGDISHA ने वंचित क्षेत्रों की महिलाओं को लक्षित किया, उनकी वित्तीय और नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिये डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण तथा ई-गवर्नेंस मॉड्यूल प्रदान किये।
  - **न्यायपालिका और नीति-निर्माण व्यवस्था**
    - **लिंग-संवेदनशील पुलिसिंग:** गृह मंत्रालय (MHA) की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम **एक महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने** की सलाह दे।
    - पुलिस कर्मियों के लिये लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण का उद्देश्य लैंगिक मुद्दों के बारे में उनकी समझ में सुधार लाना तथा महिलाओं से जुड़े मामलों का सहानुभूतिपूर्वक निपटान सुनिश्चित करना है।
  - **न्यायिक निर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में **लैंगिक-संवेदनशील नीतियों को अनिवार्य** बनाते हैं, **जागरूकता को बढ़ावा** देते हैं एवं **समावेशी वातावरण को बढ़ावा** देते हैं।
    - इसके अलावा, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता को सुधारने** तथा न्यायिक निर्णयों और लेखन में, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, हानिकारक रूढ़िवादिता से बचने के लिये न्यायाधीशों को मार्गदर्शन देने के लिये **एक पुस्तिका तैयार की** है।
- नागरिक समाज का योगदान
  - **ज़मीनी स्तर के आंदोलन:** SEWA (स्व-नियोजित महिला संघ) जैसे **गैर-सरकारी संगठन** अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये **श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा** और **वित्तीय समावेशन** का समर्थन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतिगत चर्चाओं में उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व हो।
  - **जागरूकता अभियान:** मासिक धर्म स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और आर्थिक साक्षरता से संबंधित समुदाय-आधारित कार्यक्रमों ने महिलाओं को सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने तथा समान व्यवहार की मांग करने के लिये सशक्त बनाया है।

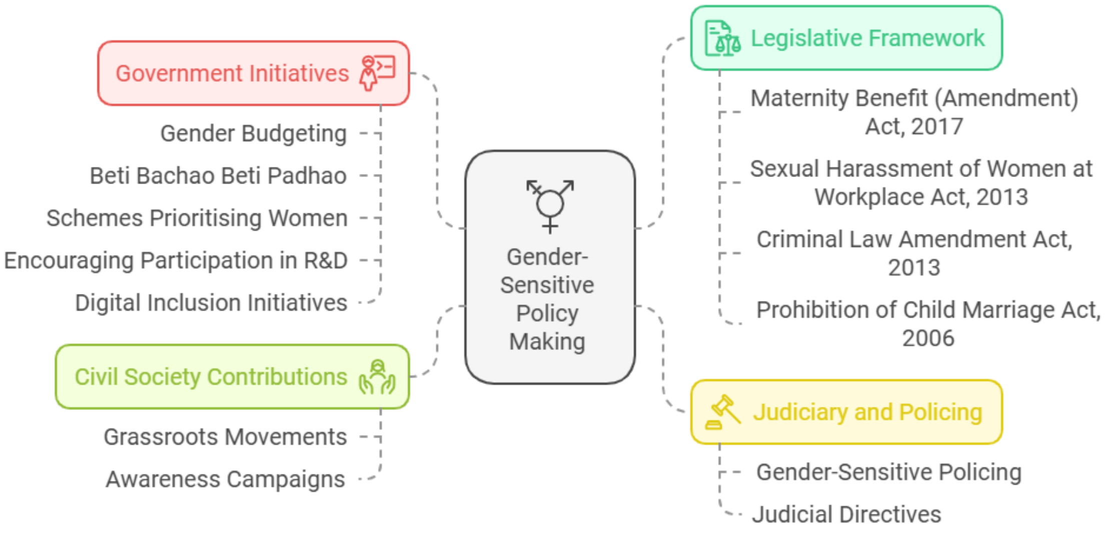

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण के लिये आगे की राह:

- **संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना:** लिंग-विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये व्यवस्थित योजना और संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालयों में लिंग बजट प्रकोष्ठों के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है।
  - महिलाओं के जीवन में सुधार के लिये **बजटीय आबंटन की प्रभावशीलता** और **प्रभाव का आकलन करने के लिये नियमित ऑडिट** आयोजित किये जाने चाहिये।
- **महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना: विधायी निकायों में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करने के लिये [नारी शक्ति वंदन अधिनियम]() के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है, जिससे शासन और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़े।
- **कार्यस्थल समानता: समान वेतन कानूनों** का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा संगठनों को रोज़गार के सभी स्तरों पर लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिये विविधता मानदंड अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **डेटा संग्रहण और विश्लेषण: विभिन्न क्षेत्रों में लिंग-आधारित डेटा** के लिये रियल टाइम ट्रैकिंग प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और मूल्यांकन संभव हो सके।
  - महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किये जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य का आकलन करने और उनका अभिनिर्धारण करने के लिये व्यापक समय-उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किये जाने चाहिये।
- **शिक्षा और जागरूकता:** लैंगिक समानता के संबंध में छात्रों में प्रारंभिक जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिये स्कूल पाठ्यक्रम में **लैंगिक अध्ययन को शामिल** किये जाने की आवश्यकता है।
  - यौन हिंसा और प्रजनन अधिकार जैसे मुद्दों से जुड़े कलंक को दूर करने के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने, स्वतंत्र संवाद और सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल सशक्तीकरण:** महिलाओं को साइबर सुरक्षा और डेटा साक्षरता में प्रशिक्षित करने के लिये लक्षित आउटरीच कार्यक्रम प्रदान करने, **डिजिटल विभाजन को** पाटने तथा ऑनलाइन शिक्षा एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
  - इन उच्च विकास वाले क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये **STEM क्षेत्रों** में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **शिकायत निवारण के लिये ई-गवर्नेंस:** लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्टिंग के लिये उपयोगकर्त्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने, गुमनामी सुनिश्चित करने और त्वरित निवारण तंत्र को सक्षम करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** वर्ष 2014 में, **स्वीडन ने विश्व की पहली स्पष्ट रूप से नारीवादी विदेश नीति** का अंगीकरण किया, जिसमें निर्णय लेने की सभी प्रक्रियाओं में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को एकीकृत किया गया, जिसे भारत के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के साथ जोड़ा जा सकता है।
  - कनाडा, फ्राँस और मैक्सिको जैसे देशों ने भी इसी प्रकार की नीतियाँ लागू की हैं, जो लिंग-समावेशी शासन की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती हैं।

निष्कर्ष

लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण केवल एक शासन उपागम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता भी है। यद्यपि भारत ने **प्रगतिशील विधि और पहलों** के माध्यम से सराहनीय प्रगति की है, फिर भी प्रणालीगत अंतराल को समाप्त करने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। **संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके** और **समावेशी ढाँचों को बढ़ावा देकर,** लैंगिक समानता को एक आदर्श के द्वारा **वास्तविकता में बदला जा सकता है**, जिससे सभी के लिये न्याय, सम्मान एवं सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में महिलाओं के समक्ष कौन-सी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएँ हैं, तथा लिंग-संवेदनशील नीति-निर्माण से किस प्रकार इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन, विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स)' का श्रेणीकरण प्रदान करता है ? (2017)

(a) विश्व आर्थिक मंच
(b) UN मानव अधिकार परिषद्
(c) UN वूमन
(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. भारत में महिला सशक्तिकरण के लिये जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएँ एवं स्थिति हैं? (2016)

प्रश्न. भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाज़ी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र (पेट्रिआर्की) किस प्रकार प्रभावित करता है? (2014)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gender-sensitive-policy-making